

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::


संख्या-12/प0-5001/2018, सा0प्र01908...../पटना-15, दिनांक-6-2-2020
श्रीमती कुमारी अनुपम सिंह,
बि0प्र0से0, को0 क्र0-1297/11, गृह जिला-रोहतास, अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर, पटना को
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, दाउदनगर, औरंगाबाद के पद पर
पदस्थापित किया जाता है।

- राज्य में सम्प्रति संचालित निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य से संबंधित अंतिम निर्वाचक सूची के प्रकाशन की तिथि के बाद ही वह वर्तमान पदस्थापन से विरमित होंगी।
- संबंधित पदाधिकारी को आलोच्य नवपदस्थापन हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है एवं उन्हें संबंधित जिला में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने के लिए भी शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।
- उपर्युक्त स्थानांतरण/पदस्थापन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(विमलेश कुमार झा)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक -12/प0-5001/2018, सा0प्र01908...../पटना-15, दिनांक-6-2-2020
प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार
राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/
महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग,
बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त
सचिव, बिहार, पटना/सचिव, निर्वाचन विभाग-सह-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार,
पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/ जिला
पदाधिकारी, पटना एवं औरंगाबाद/मुख्य सचिव के आप्त सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के
आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार/संबंधित पदाधिकारी/प्रबंधक,
आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने
हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-27 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।